न्यायालय:- राजस्व मण्डल खण्डपीठ सागर

रसूल मुहम्मद तनय रूस्तम हुसैन
निवासी- धाम मुहल्ला पन्ना
तह० व जिला पन्ना म.प्र. - पुनरीक्षणकर्ता

//विरूद्ध//

लाल मुहम्मद तनय रूस्तम हुसैन
निवासी- धाम मुहल्ला पन्ना
तह० व जिला पन्ना म.प्र. - उत्तरार्थी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा- 50 भू.रा.सं. 1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रार्थना निम्न लिखित है :-

*. यह कि पुनरीक्षण माननीय अपर आयुक्त सागर के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 573/अ-6/03-04 मे पारित आदेश दिनांक 20.1.06 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण माननीय बोर्ड के समक्ष निम्न लिखित आधारो पर प्रस्तुत करता है जिसमे उसे सफल होने की पूर्ण संभावना है ।

//अपील के आधार//

1. यह कि उक्त राजस्व प्रकरण बिना हक एवं औचित्य के इतना लम्बा खींचा गया जो समक्ष के परे है जो सम्पत्ति - पुनरीक्षणकर्ता ने स्व अर्जित की है एवं वो भी जब हमारी खानदानी सम्पत्ति का बटवारा हो जाने के बाद खरीदी हो उस संपत्ति पर दूसरे अर्थात उत्तरवादी का हक उस भूमि पर कैसे हो सकता है मेरी समक्ष के परे है ।

2. यह कि विचारण न्यायालय द्वारा अपनापी गयी प्रक्रिया पूर्णत: गलत है क्योकि नामांतरण पंजी पढने मात्र से ही ऐसा लगता है कि विचारण न्यायालय सम्मानीय तहसीलदार महोदय पन्ना द्वारा दूसरे पक्ष को न सुनो का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है। जबकि दूसरे पक्ष को व्यक्ति गत रूप से आहूत किया जाना चाहिए था और भी कि उक्त प्रकरण मे दोनो भाई - पक्षकार है एक न्यायिक कार्यवाही न्यायालय से चाह रहे

दूसरे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 25–दो/07 **जिला** –पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
3.02.16	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक कोई उपस्थित नहीं । वह लगभग 23 पेशियों से अनुपस्थित रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को प्रकरण में आगे चलाने की कोई रूचि नहीं है। समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। सदस्य	